यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

रो–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

ख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
ल/15	02.02.2015	31.03.2021

1. मंजू यादव विधवा कैलाश जाति यादव निवासी जजावर तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. जितेन्द्र आ0 कैलाश जाति यादव निवासी जजावर तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. महेन्द्र उर्फ शुभम आ0 कैलाश जाति यादव निवासी जजावर तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीबाई पुत्री गोरधन जाति माली निवासी वार्ड नं. 17, नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. सोनू नाबालिग जर्ये संरक्षक माता मांगीबाई जाति माली निवासी वार्ड नं. 17, नैंनवा जिला बून्दी।
3. अजय नाबालिग जर्ये संरक्षक माता मांगीबाई जाति माली निवासी वार्ड नं. 17, नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
4. विक्की नाबालिग जर्ये संरक्षक माता मांगीबाई जाति माली निवासी वार्ड नं. 17, नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
5. तहसीलदार महोदय, तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री दयाकृष्ण विजय एड0
रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री लीलाधर सिंह एड0
रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैंनवा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 1985 दिनांक 31.12.2014 वाके ग्राम जजावर तहसील नैंनवा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से कृषि भूमि खसरा सख्या 3621 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 3639 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व खसरा संख्या 3897/3657 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम जजावर मृतक खातेदार कैलाश की मृत्यु के बाद अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ड के नाम दर्ज की गई है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अति0 जिला कलक्टर

समाअत की गई।

अपीलान्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 3639 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व 3897/3657 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम जजावर तहसील नैंनवा विस्थित हैं। जो के मूल खातेदार अपीलांट संख्या 2 व 3 के दादाजी जादूलाल आ0 हरलाल जिनका स्वर्गवास दिनांक 16.09.1993 को हो गया हैं। मृतक जादूलाल जी के 2 पुत्र अपीलांट संख्या 1 के पति तथा अपीलांट संख्या 2 व 3 के पिता कैलाश तथा दूसरा पुत्र बालकिशन हैं। जादूलाल जी का स्वर्गवास हो जाने पर उक्त कृषि भूमियां में से कैलाश को 1/2 हिस्सा तथा बालकिशन को 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ। अपीलांट संख्या 2 व 3 का जन्म उनके दादा जादूलाल जी की जीवित अवस्था में ही हो गया था। इस प्रकार उक्त कृषि भूमियां पैत्रक होने से अपीलांट संख्या 2 व 3 को उनके पिता के समान बराबर–बराबर का अधिकार हैं। मृतक कैलाश ग्राम नैंनवा में ड्राईवरी का कार्य करते थे। रेस्पो0 संख्या 1 मांगीबाई ने अपीलांट संख्या 2 व 3 के पिता स्वर्गीय कैलाश से यह जानते हुये कि मृतक कैलाश शादीशुदा हैं तथा इसके पत्नि व पुत्र हैं से अवैध संबंध स्थापित कर लिये। रेस्पो0 संख्या 1 मांगीबाई ने विवादित भूमि में से हिस्सा 9/28 का एक विक्रय पत्र दिनांक 22.04.2008 मृतक कैलाश से करवा लिया था। उक्त विक्रय पत्र को श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक नं. 2) बून्दी ने निर्णय दिनांक 18.07.2009 से अवैध व शून्य घोषित कर दिया गया हैं। तत्पश्चात कैलाश की मृत्यु के बाद विवादित नामान्तरकरण संख्या 1985 दिनांक 31.12.2014 वाके ग्राम जजावर तहसील नैंनवा तस्दीक किया गया हैं जो वस्तु स्थिति एवं विधि अनुकूल नहीं हैं। वादग्रस्त कृषि भूमियां अपीलांट की पैत्रक संपत्ति हैं रेस्पो0 मांगीबाई के पुत्र मृतक कैलाश को उसके पिता द्वारा विरासत में मिली संपत्ति में अपना अधिकार नहीं जता सकते और उस संपत्ति को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। रेस्पो0 संख्या 1 के पुत्र केवल मृतक कैलाश द्वारा स्वअर्जित संपत्ति को ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अपीलांट का हिस्सा 1/2 व बालकिशन का हिस्सा 1/2 दर्ज करने का आदेश प्रदान करे। वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2010 (एस.सी.) पेज 2685, आरआरडी 1998 पेज 357 एवं आरआरडी 1985 पेज 767 की नजीरें पेश की।

वकील रेस्पोडेन्ड ने दोहराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 1985 दिनांक 31.12.2014 तहसीलदार नैंनवा द्वारा संपूर्ण विधिक जांच एवं सुनवाई उपरांत तस्दीक किया गया हैं जो विधि अनुरूप हैं। अपीलांट संख्या 2, 3 व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 स्वर्गीय कैलाश की संतान हैं। कैलाश की मृत्यु के उपरांत अपीलांट संख्या 2, 3 व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूचि के वर्ग प्रथम के वारिस हैं तथा एक ही पिता के नुत्फे से अलग–अलग माताओं से उत्पन्न संतानें हैं। इस प्रकार की संतानों को सगे भाई–बहन माना गया हैं तथा धर्मज संतान माना गया हैं। इस अनुसूचि में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहन के पति निर्देश नहीं हैं जो केवल एकोदर रक्त के हो बल्कि एक पिता से परन्तु अलग–अलग माताओं से उत्पन्न बच्चे भी सगे भाई बहन माने गये हैं। प्रथम पत्नि की जीवित अवस्था में एक हिन्दू पुरूष द्वितीय विवाह करता हैं तो द्वितीय पत्नि से उत्पन्न की स्थिति के बारे में यह उपधारणा की गई हैं कि धारा 16 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार विवाह अकृत्य और शून्य होते हुये भी ऐसे विवाह का कोई अपत्य जो विवाह के विधि मान्य होने की दशा

इस प्रकार प्रथम पत्नि की जीवित अवस्था में द्वितीय पत्नि से उत्पन्न संतान होगी। उक्त प्रकरण में यह नियम लागू होता हैं तथा रेस्पो0 संख्या भी मृतक कैलाश के धर्मज संतान हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जाकर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे। वकील रेस्पोडेन्ड ने अपने क समर्थन में एआईआर 2009 (एनओसी) पेज 816 (केरल), आरआरडी 2002 पेज आरआरडी 1990 पेज 549 तथा आरआरडी 1992 पेज 562 की नजीरें पेश की।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन विवादित नामान्तरकरण मृतक कैलाश की मृत्यु के बाद अपीलांट 1 लगायत 3 एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में तहसीलदार नैंनवा द्वारा तस्दीक किया गया हैं। मृतक कैलाश का विवादित कृषि भूमियों में 1/2 हिस्सा निहित हैं। उक्त हिस्सा मृतक कैलाश को विरासत में प्राप्त हुआ हैं। प्रकरण में यह उल्लेखनीय हैं कि मृतक के एक विवाहित पत्नि एवं इससे उत्पन्न संतानें अपीलांट संख्या 2, 3 हैं तथा एक अवैध पत्नि रेस्पो0 संख्या 1 एवं इससे उत्पन्न संतानें रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 हैं। इस संबंध में वकील अपीलांट का यह तर्क रहा हैं कि अवैध संबंधों से उत्पन्न संतानों को धारा 16 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जायज संतानें तो माना गया हैं किन्तु उनको माता पिता की संपत्तियों में ही उत्तराधिकारी के रूप में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया हैं अन्य संपत्तियों में नहीं दिया गया। दूसरी ओर इस तर्क का खण्डन करते हुये वकील रेस्पोडेन्ड ने यह तर्क दिया कि धर्मजत्व के संबंध में यह उपधारणा हैं कि ऐसे माता पिता से उत्पन्न बच्चे जो पति एवं पत्नि के रूप में अपने पड़ोसियों एंव मित्रों द्वारा समझे जाते थे और पति पत्नि के रूप में विचारणीय अवधि तक सहवास किये थे। उनके माता पिता उनको अपने बच्चे के रूप में अभिस्वीकृत भी किये थे और राशन कार्ड, मतदाता सूची एवं स्कूल रजिस्टर जैसे दस्तावेजों में ऐसा वर्णन भी किया गया था वे बच्चे धर्मज हैं। उक्त तर्कों से यह तो साबित हैं कि मृतक से उत्पन्न संतानें उसको प्राप्त होने वाली संपत्ति में समान अधिकार रखती हैं परन्तु अवैध विवाहित पत्नि रेस्पो0 संख्या 1 मृतक कैलाश की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रखती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज यथा अंक तालिका, टीकाकरण कार्ड, राशन कार्ड में मृतक कैलाश के दूसरी पत्नि से उत्पन्न संतानों का नाम अंकित हैं तथा पिता के रूप में मृतक कैलाश का नाम अंकित हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह भी जाहिर आया कि तहसीलदार नैंनवा द्वारा मृतक कैलाश के वैध उत्तराधिकारियों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारवान पाऐ जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 1985 दिनांक 31.12.2014 को निरस्त किया जाता हैं साथ ही प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार कैलाश के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलेक्टर,
बूंदी